न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 544/2024

अनवान : –

1. गोरीशंकर पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
3. भाल सिंह पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
4. धापी पत्नी हंसराज पुत्री जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
5. गोपीराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
6. राकेश गर पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
7. गुलाबो पुत्री पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
8. राजेश कुमार पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
9. विकास पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
10. सुरेश पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
11. सरस्वती पत्नी धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
12. गोरधन पुत्र धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
13. भीमराज पुत्र धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
14. सुनिता पुत्री धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
15. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
16. शान्ति देवी पुत्री महादाराम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
17. डाली देवी पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 88/89 के ख0न0 180 की 5.8800 हैक्ट भूमि में से 1957/2800 हिस्सा भूमि महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो की वादी का पिता है। महादाराम पुत्र जीवन पुरी का स्वर्गवास हो चुका है महादाराम पुत्र जीवन पुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10, 12 ता 17 ने उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 11 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 11 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र ..., मृत्यु प्रमाण पत्र धर्मपाल, मृत्युप्रमाण पत्र हंसराज, मृत्यु प्रमाण पत्र बलराम, मृत्यु प्रमाण पत्र महादाराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो की वादी का पिता है। महादाराम पुत्र जीवन पुरी का स्वर्गवास हो चुका है महादाराम पुत्र जीवन पुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10, 12 ता 17 ने उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 11 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 11 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 88/89 के ख0न0 180 की 5.8800 हैक्ट भूमि में से 1957/2800 हिस्सा भूमि महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो की वादी का पिता है। महादाराम पुत्र जीवन पुरी का स्वर्गवास हो चुका है महादाराम पुत्र जीवन पुरी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 10, 12 ता 17 ने उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 11 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 11 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, वादी के उकत कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 88/89 के ख0न0 180 की 5.8800 हैक्ट भूमि में से 1957/2800 हिस्सा भूमि महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक महादा राम पुत्र जीवन पुरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 11 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 544 / 2024
अनवान : –

1. गोरीशंकर पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
3. भाल सिंह पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
4. धापी पत्नी हंसराज पुत्री जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
5. गोपीराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
6. राकेश गर पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
7. गुलाबो पुत्री पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
8. राजेश कुमार पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
9. विकास पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
10. सुरेश पुत्र स्व0 बलराम पुत्र स्व0 हंसराज पुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
11. सरस्वती पत्नी धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
12. गोरधन पुत्र धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
13. भीमराज पुत्र धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
14. सुनिता पुत्री धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
15. सुमन पुत्री धर्मपाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
16. शान्ति देवी पुत्री महादाराम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
17. डाली देवी पुत्र महादा राम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 544 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/08/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज सरकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास जैतासरी तहसील नोहर के खाता स0 88/89 के ख0न0 180 की 5.8800 हैक्ट भूमि में से 1957/2800 हिस्सा भूमि महादाराम पुत्र जीवन पुरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक महादा राम पुत्र जीवन पुरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 11 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.05 17:55:07 IST
Reason: SelfAttested